प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र सेवाओं के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन में वैसे मामले शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2016–17 के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ ही जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए, परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2016–17 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार अद्यतन कर शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा परिणाम सीमित नमूना–जाँच पर आधारित है। राज्य सरकार को सभी विभागों के कार्यकलाप की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदृश्य मामले मौजूद नहीं हैं।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्त्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (ब) अनुबंध करता है कि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह कोई लेखे, बहियां और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उन संव्यवहारों जिनकी लेखापरीक्षा की बाबत उसके कर्त्तव्यों का विस्तार हैं के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे सुसंगत हो। इस प्रावधान को लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 के नियम 181 द्वारा पुनः विस्तारित किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक विभाग अथवा सत्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित आकड़े, सूचना तथा दस्तावेज उसे समय पर उपलब्ध कराए गए हैं, एक तंत्र स्थापित करेगा तथा कार्यान्वित करेगा।

ऐसे स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, लेखापरीक्षा के समक्ष अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कई मामले हैं। ये लेखापरीक्षा के प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। यद्यपि इस तरह के मामले प्रत्येक अवसर पर प्राधिकारियों के संज्ञान में लाए जाते है, परंतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्त्ती कार्रवाई एक समान शीघ्र एवं प्रभावी नहीं है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 के लिए पाँच निष्पादन लेखापरीक्षा (बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा0स्वा0के0) के कार्यकलाप, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के प्रबंधन, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, बिहार में शिक्षा का अधिकार 2009 के कार्यान्वयन और बिहार राज्य में धान की खरीद एवं चावल की आपूर्ति) और पाँच विषयगत लेखापरीक्षा (बिहार राज्य में ई–क्रय प्रणाली का कार्यान्वयन, बिहार में मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन, काराओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित काराओं के कार्यकलाप, मुख्यमंत्री बिहार शताब्दी बालिका पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना तथा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना) का प्रयास किया गया था। हालांकि, बार–बार प्रयासों के बावजूद, 96 में से 59 इकाईयों ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए कुछ अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। आगे, इन निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा के संबंध में जारी 1,367 लेखापरीक्षा ज्ञापनों मे से 131 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए और 465 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के केवल आंशिक उत्तर प्राप्त हुए थे।

अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण गंभीर रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के कवायद को परिसीमित करता है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पदाधिकारियों के जवाबदेही में कमी और धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन आदि को छिपाया जा सकता है। राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने सहित अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के प्रत्येक मामलों को चिन्हित करते हुए, सतर्कता के दृष्टिकोण से संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया जाता है।

यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–1 एक परिचय है, लेखापरीक्षित रूपरेखा और निरीक्षण प्रारूप प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया, निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा तथा कंडिकाओं पर सरकार और लेखापरीक्षिती इकाईयों की प्रतिक्रिया, पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई, लेखापरीक्षा के कारण हुई वसूली तथा राज्य विधानमण्डल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की स्थिति का विवरण देता है।

अध्याय–2 'बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा है।

अध्याय–3 सरकारी विभागों के लेन–देन के लेखापरीक्षा पर है, उनके क्षेत्र के गठन और स्वामित्व और मितव्ययिता के मानदंडों के पालन में संशाधनों और विफलताओं के प्रबंधन में हुई चूक की घटनाएँ सामने लाती हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित किए गए हैं।